कार्यालय– स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी
समेकित जल संग्रहण प्रबन्धन परियोजना
परती भूमि विकास विभाग
एल्डिको कारपोरेट टॉवर, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
दूरभाष– 0522–4005337, 4113437 ई–मेल sldcldwrlu-up@nic.in

पत्रांक /एस.एल.डी.सी./प्रशि0/2015–16 दिनांक– 31-7-15

वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) के अन्तर्गत सम्पादित एवं प्रस्तावित कार्यों की विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 24.07.2015 को सम्पादित समीक्षा की कार्यवृत्त।

1. प्रमुख सचिव, सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी/विशेष सचिव, सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग एवं एस.एल.एन.ए. के अन्य अधिकारियों के साथ आई.डब्ल्यू. एम.पी. के कार्यों की प्रगति समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न हुई जिसमें समस्त आई.डब्ल्यू.एम.पी. जनपदों (कतिपय जनपदों को छोड़कर) के मुख्य विकास अधिकारी, उप निदेशक तथा भूमि संरक्षण अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।
2. जनपद– चित्रकूट एवं बॉदा के अधिकारियों से आप्टिकल फाइबर में खराबी के कारण कॉन्फ्रेंसिंग नही हो सकी। जनपद– ललितपुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर (भदोही), ईटावा तथा कुशीनगर से कोई भी अधिकारी कॉन्फ्रेंसिग हेतु उपलब्ध नही थे।
3. प्रमुख सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा मनरेगा के साथ वनीकरण के सम्बन्ध में सुमेलीकरण की जनपदवार की गयी समीक्षा के उपरान्त जनपदीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्य/प्रगति का विवरण संलग्नक–1 में प्रदर्शित है।

विडियो कॉन्फ्रेंसिग के दौरान अधिकारियों द्वारा किये गये अनुरोध तथा तत्सापेक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रमुख सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देश निम्नवत् है–

- **मिर्जापुर** – प्रभागी वनाधिकारी, मिर्जापुर ने अवगत कराया कि आई.डब्ल्यू.एम.पी. की एक परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पी.आई.ए. (रानीपुर वन्य जीव विहार) वन विभाग, मिर्जापुर है, 12 ग्राम पंचायतों में योजना क्रियान्वित है विभाग में कर्मचारियों की कमी के कारण कार्य प्रारम्भ नही हो पा रहा है इनके द्वारा रिक्त पद पर विभागीय कर्मचारियों की तैनाती कराने का अनुरोध किया गया था जिसके क्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय द्वारा प्रमुख सचिव, वन विभाग एवं मुख्य वन संरक्षक से अनुरोध पत्र भेजने का आश्वासन दिया।
- **मऊ** – जनपद द्वारा कार्ययोजना प्रस्तुत नही किये जाने के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी से सख्त कार्यवाई करने की अपेक्षा की गयी है।
- **रायबरेली** – मुख्य विकास अधिकारी ने अवगत कराया कि भूमि संरक्षण अधिकारी को डोंगल निर्गत नही है।
- **जे.पी. नगर** – मुख्य विकास अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि इस जनपद के भूमि संरक्षण अधिकारी का प्रभार मेरठ के उप निदेशक के पास है जो कभी भी सम्पर्क नही करते है।
- **आगरा** – उप निदेशक आगरा द्वारा जानकारी चाही गयी कि आई.डब्ल्यू.एम.पी. के लाभग्राही वर्ग मनरेगा के लाभग्राही वर्गों से पूर्ण रूपेण मेल नही खाते है। जिससे कार्ययोजना तैयार कराने में असुविधा हो रही है। अपर आयुक्त मनरेगा ने स्पष्ट किया कि मनरेगा के अन्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्य मनरेगा की गाइडलाइन के अनुरूप ही कराये जायेगें। इन्होने यह भी स्पष्ट किया कि प्राइवेट तथा सामुदायिक जमीन पर वनीकरण का प्रस्ताव अलग–अलग मनरेगा के फॉरमेट पर प्रस्तुत किया जाये।